न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : जितेन्द्र ओझा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : **121/14 (वाद)**

1. मोहनकुंवर पुत्री स्व. गुमानसिंह राजपूत निवासी वाडा वावडी तह. मावली।

............वादीयां

बनाम्

1. श्री हिम्मतसिंह पिता उदयसिंह राजपूत निवासी वाडा वावडी तह. मावली।
2. श्री हीरसिंह पिता उदयसिंह राजपूत निवासी वाडा वावडी तह. मावली।
3. श्रीमती जशोदा कुंवर पुत्री उदयसिंह पत्नी महेन्द्रसिंह राजपूत निवासी हेमा कुण्डाल तह. नाथद्वारा जिला राजसमन्द।
4. श्रीमती रसालकुंवर पत्नी उदयसिंह राजपूत निवासी वाडा वावडी तह. मावली।
5. श्री नाहरसिंह पिता उंकारसिंह राजपूत निवासी वाडा वावडी तह. मावली।
6. श्री गजेसिंह पिता उंकारसिंह राजपूत निवासी वाडा वावडी तह. मावली।
7. श्रीमती जमनाकुंवर पुत्री उंकारसिंह पत्नी रूपसिंह राजपूत निवासी पावणिया तह. नाथद्वारा जिला राजसमन्द।
8. श्रीमती राजकुंवर पत्नी उंकारसिंह राजपूत निवासी वाडा वावडी तह. मावली।
9. उप पंजीयक अधिकारी, मावली तह. मावली।
10. पटवारी, पटवार हल्का जावड तह. मावली।

..............प्रतिवादीगण

उपस्थित—1. श्री भंवरलाल ओस्तवाल, अधिवक्ता वादीयां।

वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक 30.01.2018

1. वादीयां द्वारा वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा वाडा वावडी पटवार क्षेत्र जावड तह. मावली की ''परिशिष्ट अ'' में वर्णित आराजी नम्बर 3 से 12 किता 10 रकबा 124 बीघा 1 बिस्वा उक्त वर्णित आराजीयात वर्तमान में प्रतिवादी सं. 1 से 4 के नाम संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 5 से 8, खातेदार भगवतसिंह के नाम 1/4 हिस्सानुसार राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज हैं। जमाबंदी की नकल वाद पत्र के साथ पेश हैं। ''परिशिष्ट ब'' में वर्णित आराजी नम्बर 42, 61, 62, 63 किता 4 रकबा 47 बीघा 13 बिस्वा उक्त आराजीयात वर्तमान में प्रतिवादी सं. 1 से 8 के नाम संयुक्त रूप से हिस्सानुसार राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज हैं। जमाबन्दी की नकल साथ संलग्न हैं। ''परिशिष्ट स'' में वर्णित आराजी नम्बर 92 से 103, 460, 1108 से 1111, 1113 से 1120, 1156, 1160, 1161, 5631/447 किता 29 रकबा 81 बीघा 13 बिस्वा उक्त वर्णित आराजीयात वर्तमान

में प्रतिवादी सं. 1 से 4 के नाम संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 5 से 8, खातेदार भगवतसिंह के नाम 1/2 हिस्सानुसार राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज हैं। जमाबन्दी की नकल वाद पत्र के साथ पेश हैं। ''परिशिष्ट द'' में वर्णित आराजी नम्बर 1112 रकबा 5 बिस्वा आ.चा. उक्त वर्णित चाह पूर्व में गुमानसिंह पिता तख्तसिंह के नाम 1/4 हिस्सानुसार राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज था। जमाबन्दी की नकल वाद पत्र के साथ पेश हैं। चूंकि मूलतः विवाद प्रतिवादी सं. 1 से 8 तक के नाम दर्ज भूमि के सम्बन्ध में है और अन्य सहखातेदार से कोई दाद नहीं चाही गयी है इसलिए उपरोक्त परिशिष्ट (अ,ब,स,द) वर्णित आराजीयात के अन्य सहखातेदार को पक्षकार मुकदमा नहीं बनया गया हैं।

2. मुझ वादीयां व प्रतिवादी सं. 1 से 8 का सजरा खानदान निम्न प्रकार हैं।

गुमानसिंह (फौत)
- उदयसिंह पुत्र (फौत)
  - हिम्मतसिंह (पुत्र)
  - हीरसिंह (पुत्र)
  - जसोदाकुंवर (पुत्री)
  - रसालकुंवर (पत्नी)
- उंकारसिंह पुत्र (फौत)
  - नारायणसिंह (पुत्र)
  - गजेसिंह (पुत्र)
  - भगवतसिंह (पुत्र लाऔलाद फौत)
  - जमनाकुंवर (पुत्री)
  - राजकुंवर (पत्नी)
- मोहनकुंवर पुत्री (वादीयां)

उक्त सजरे के अनुसार मैं वादीयां गुमानसिंह की पुत्री हूं तथा उदयसिंह और उंकारसिंह गुमानसिंह के पुत्र होकर मेरे भाई हैं।

3. वाद पत्र के परिशिष्ट (अ,ब,स,द) में वर्णित आराजीयात हम वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 से 8 की पैतृक सम्पति है जो पूर्व में गुमानसिंह पिता तख्तसिंह राजपूत निवासी बावडी के नाम पर दर्ज थी। मुझ वादीयां के पिता गुमानसिंह का स्वर्गवास आज से करीब 35 वर्ष पूर्व हुआ उस समय हिन्दू उत्तराधिकार कानून लागू था उस अनुसार विरासत से गुमानसिंह जी के बजाय मुझ वादीयां मोहनकुंवर तथा मेरे भाई उदयसिंह व उंकारसिंह माता जवेरकुंवर के नाम पर नामान्तरकरण खुलना चाहिए था लेकिन गुमानसिंह के बजाय नामान्तरकरण सं. 766 दिनांक 21.02.1997 से केवल उदयसिंह, उंकारसिंह दोनों पिता गुमानसिंह एवं जवेरकुंवर बेवा गुमानसिंह के नाम पर ही खोल दिया जो मेरे मुकाबले में

गलत और बेबुनियाद हैं। कानून से मुझ वादीयां का नाम भी गुमानसिंह की पुत्री होने से 1/4 हिस्से के अनुसार नामान्तरकरण खुलना चाहिए था।

4. वर्तमान रेवेन्यु रेकार्ड में उक्त आराजीयात उदयसिंह पिता गुमानसिंह व नाहरसिंह, गजेसिंह, भगवतसिंह पिता उंकार एवं राजकुंवर बेवा उंकारसिंह के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। उदयसिंह की भी मृत्यु हो चुकी है उसका हिस्सा उसके लडके हिम्मतसिंह, हीरसिंह तथा पुत्री जसोदा कुंवर एवं पत्नी रसाल कुंवर के नाम पर दर्ज हो चुका हैं। गुमानसिंह की पत्नी का भी स्वर्गवास हो चुका है इसलिए गुमानसिंह की आराजीयात में मुझ वादीयां का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 1 से 4 का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 5 से 8 का 1/3 हिस्सा है और इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में भी दर्ज होना चाहिए था लेकिन रेवेन्यु एजेन्सी ने प्रतिवादी सं. 1 से 4 का 1/2 व प्रतिवादी सं. 5 से 8 तक का 1/2 हिस्सा दर्ज कर दिया है इसलिए मैं वादीयां उक्त आराजीयात में प्रतिवादी सं. 1 से 8 के नाम पर दर्ज हिस्से में अपना 1/3 हिस्सा खातेदारी के तौर पर दर्ज कराने की अधिकारीणी हूं।

5. चूंकि वर्तमान रेवेन्यु रेकार्ड में गुमानसिंह जी की कुलिया जमीन प्रतिवादी सं. 1 से 8 के नाम पर दर्ज है इसलिए प्रतिवादीगण लोभ लालच की भावना से वशीभूत होकर मुझ वादीयां को अपने पिता गुमानसिंह की जमीन में अपने हिस्से से वंचित रखने, जमीन को बेचने पर आमादा हो रहे है इसलिए मैं वादीयां प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने की अधिकारी हूं कि प्रतिवादीगण किसी प्रकार इस जमीन को बैह बक्षीस या हस्तान्तरण नहीं करें तथा मौके की एवं रेवेन्यू रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

6. मुझ वादीयां का प्राइमाफैसी केस है क्योंकि उक्त वर्णित कृषि भूमि हमारी पैतृक कृषि भूमि है जिसमें मुझ वादीयां को जन्म से ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये हैं। इसलिए स्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से प्रतिवादीगण को कोई क्षति या नुकसान होने वाला नहीं हैं। बल्कि स्थाई निषेधाज्ञा नहीं होने से मुझ वादीयां को भारी क्षति होगी उसका मूल्यांकन रूपयों पैसों में किया जाना असंभव होगा। सुविधा संतुलन व अशोधनीय क्षति का बिन्दू भी मुझ वादीयां के पक्ष में हैं।

7. मुझ वादीयां को प्रतिवादीगण के विरूद्व वाद कारण दिनांक 10.05.2014 को उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादीगण ने मुझ वादीयां को मेरे हिस्से की भूमि से बेदखल

कर भूमि अन्य को विक्रय करने की धमकी दी तब उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं।

8. अतः प्रार्थना है कि मुझ वादीयां के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व निम्न आशय की डिक्री जारी फरमाई जावें कि :— वाद पत्र के परिशिष्ट (अ,ब,स,द) में वर्णित आराजीयात में प्रतिवादी सं. 1 से 8 के नाम दर्ज हिस्सा भूमि में मुझ वादीयां को 1/3 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जाकर मेरा नाम राजस्व रेकार्ड खेवट खतौनी जमाबन्दी में अंकन कराया जावें। मुझ वादीयां के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावें कि प्रतिवादी सं. 1 से 8 वाद पत्र में परिशिष्ट (अ,ब,स,द) में वर्णित आराजीयात में मुझ वादीयां को अपने हिस्से कब्जे की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें, वादीयां को बेदखल नहीं करें, कब्जा नहीं करें, रहन बैह बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करें, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी न स्वयं करें, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि से ही करावें, एवं प्रतिवादी सं. 9, 10 को पाबंद किया जावें कि प्रतिवादी सं. 1 से 8 उक्त भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार का दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रतिवादी सं. 9 के समक्ष प्रस्तुत करे तो ताफैसला मूल वाद उसका पंजीयन नहीं करें और प्रतिवादी सं. 10 ताफैसला मूल वाद राजस्व रेकार्ड की यथावत् स्थिति बनाए रखें। अन्य दादरसी वादीयां कानूनन जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 209 के अनुसार प्राप्त करने की अधिकारी हो वह प्रदान कराई जावें।

9. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 8 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गयें। राजपेरोकार द्वारा जवाब पेश नहीं किया। प्रकरण में साक्ष्य वादी के रूप में शपथ पत्र गवाह पीडब्ल्यू 2 मोहनकुंवर को पेश किया।

10. दस्तावेज जमाबन्दी प्रदर्श 1, जमाबन्दी सम्वत् 2042 से 2045 प्रदर्श 2, जमाबन्दी सम्वत् 2066 से 2069 प्रदर्श 3, जमाबन्दी सम्वत् 2037 से 2040 प्रदर्श 4, जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 प्रदर्श 5, जमाबन्दी सम्वत् 2050 से 2053 प्रदर्श 6, जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 प्रदर्श 7, जमाबन्दी सम्वत् 2037 से 2041 प्रदर्श 7, गुमान सिंह के खाते की नकल प्रदर्श 8, ग्राम पंचायत जावड का सजरा खानदान प्रदर्श 9 पेश किया।

11.प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता वादीयां की एकतरफा बहस सुनी। विद्वान अधिवक्ता वादीयां द्वारा दौराने बहस प्रकरण में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा वादीयां का वाद स्वीकार किया जाने का निवेदन किया।

12.हमने विद्वान अधिवक्ता वादीयां की बहस पर बगौर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। वाद वर्णित भूमि वर्तमान में प्रतिवादी सं. 1 से 8 के नाम पर दर्ज हैं। वादग्रस्त भूमि पूर्व में वादीयां के पिता गुमानसिंह के नाम पर दर्ज थी, जो प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श 2, प्रदर्श 4, प्रदर्श 7, प्रदर्श 8 के दस्तावेज से जाहिर होती हैं। उक्त दस्तावेज के अवलोकन से भूमि वादीयां की पैतृक सम्पति होना जाहिर आया हैं। ग्राम पंचायत जावड द्वारा भी दिनांक 20.05.2014 से गुमानसिंह का सजरा खानदान प्रमाणित किया गया हैं जो दस्तावेज प्रदर्श 9 होकर शामिल पत्रावली हैं। गुमानसिंह की मृत्यु के पश्चात् विरासत से भूमि गुमानसिंह के पुत्र उदयसिंह, उंकारसिंह व पुत्री मोहनकुंवर के नाम बराबर बराबर हिस्सेनुसार दर्ज होनी चाहिए थी लेकिन उक्त भूमि गुमानसिंह की मृत्यु के पश्चात् विरासत से उदयसिंह व उंकारसिंह के नाम पर दर्ज हो गई है वर्तमान में उदयसिंह उंकारसिंह फौत होने से उक्त भूमि इनके वारिस प्रतिवादी सं. 1 से 8 के नाम पर दर्ज हैं। वादीयां द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से वाद वर्णित भूमि पैतृक भूमि होना साबित होती हैं। वादीयां की पैतृक सम्पति होने से वादीयां का जन्म से ही अधिकार निहित हैं। अतः वादीयां अपने पिता की सम्पति में बराबर–बराबर हिस्सें की खातेदारी घोषणा कराने की अधिकारी हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीयां का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: : **आदेश** : :–

परिणामस्वरूप वादीयां का वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा वाडा वावडी पटवार क्षेत्र जावड की ''परिशिष्ट अ'' में वर्णित आराजी नम्बर 3 से 12 किता 10 रकबा 124 बीघा 1 बिस्वा, ''परिशिष्ट ब'' में वर्णित आराजी नम्बर 42, 61, 62, 63 किता 4 रकबा 47 बीघा 13 बिस्वा एवं ''परिशिष्ट स'' में वर्णित आराजी नम्बर 92 से 103, 460, 1108 से 1111, 1113 से 1120, 1156, 1160, 1161, 5631/447 किता 29 रकबा 81 बीघा 13 बिस्वा भूमि एवं ''परिशिष्ट द'' में वर्णित आराजी नम्बर 1112 रकबा 5 बिस्वा आ.चा. भूमि में गुमानसिंह की हिस्से की भूमि में से

प्रतिवादी सं. 1 से 8 के बजाय वादीयां मोहनकुंवर को 1/3, प्रतिवादी सं. 1 से 4 को हिस्सेनुसार 1/3, प्रतिवादी सं. 5 से 8 को हिस्सेनुसार 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी सं 1 से 8 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वादीयां के हिस्से कब्जे की भूमि में दखलन्दाजी नहीं करे, वादीयां को शांतिपूर्वक काश्त करने देवें इसमें किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे। स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द रहे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2018 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(जितेन्द्र ओझा)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली

बईजलास जितेन्द्र ओझा, आर.ए.एस.

<u>उनवान्</u>

1. मोहनकुंवर पुत्री स्व. गुमानसिंह राजपूत निवासी वाडा वावडी तह. मावली।

...........वादीयां

बनाम्

1. श्री हिम्मतसिंह पिता उदयसिंह राजपूत निवासी वाडा वावडी तह. मावली।
2. श्री हीरसिंह पिता उदयसिंह राजपूत निवासी वाडा वावडी तह. मावली।
3. श्रीमती जशोदा कुंवर पुत्री उदयसिंह पत्नी महेन्द्रसिंह राजपूत निवासी हेमा कुण्डाल तह. नाथद्वारा जिला राजसमन्द।
4. श्रीमती रसालकुंवर पत्नी उदयसिंह राजपूत निवासी वाडा वावडी तह. मावली।
5. श्री नाहरसिंह पिता उंकारसिंह राजपूत निवासी वाडा वावडी तह. मावली।
6. श्री गजेसिंह पिता उंकारसिंह राजपूत निवासी वाडा वावडी तह. मावली।
7. श्रीमती जमनाकुंवर पुत्री उंकारसिंह पत्नी रूपसिंह राजपूत निवासी पावणिया तह. नाथद्वारा जिला राजसमन्द।
8. श्रीमती राजकुंवर पत्नी उंकारसिंह राजपूत निवासी वाडा वावडी तह. मावली।
9. उप पंजीयक अधिकारी, मावली तह. मावली।
10. पटवारी, पटवार हल्का जावड तह. मावली।

..............प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राज.काश्तकारी अधिनियम</u>

<u>मुकदमा न0 : 121/14 (वाद)</u>

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु जितेन्द्र ओझा R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि:—

वादीयां का वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा वाडा वावडी पटवार क्षेत्र जावड की ''परिशिष्ट अ'' में वर्णित आराजी नम्बर 3 से 12 किता 10 रकबा 124 बीघा 1 बिस्वा, ''परिशिष्ट ब'' में वर्णित आराजी नम्बर 42, 61, 62, 63 किता 4 रकबा 47 बीघा 13 बिस्वा एवं ''परिशिष्ट स'' में वर्णित आराजी नम्बर 92 से 103, 460, 1108 से 1111, 1113 से 1120, 1156, 1160, 1161, 5631/447 किता 29 रकबा 81 बीघा 13 बिस्वा भूमि एवं ''परिशिष्ट द'' में वर्णित आराजी नम्बर 1112 रकबा 5 बिस्वा आ. चा. भूमि में गुमानसिंह की हिस्से की भूमि में से प्रतिवादी सं. 1 से 8 के बजाय वादीयां मोहनकुंवर को 1/3, प्रतिवादी सं. 1 से 4 को हिस्सेनुसार 1/3, प्रतिवादी सं.

5 से 8 को हिस्सेनुसार 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी सं 1 से 8 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वादीयां के हिस्से कब्जे की भूमि में दखलन्दाजी नहीं करे, वादीयां को शांतिपूर्वक काश्त करने देवें इसमें किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे। स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द रहे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 30.1.2018 को जारी की गई।

(जितेन्द्र ओझा)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली